- (ii) स्तंभ (11) के,-
- (I) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन
  - (क) "वेतन बैंड 2 (रुपये 9300-34800)+ग्रेड वेतन 4200/- रुपये" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएँगे;
  - (ख) टिप्पण 1: का लोप किया जाएगा;
  - (ग) टिप्पण 3: का लोप किया जाएगा;
- (II) प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन
  - (क) मद (ii) के "वेतन बैंड 2 (रुपये 9300-34800)+ग्रेड वेतन 4200/- रुपये" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएँगे;
  - (ख) टिप्पण 4: का लोप किया जाएगा

[फा. सं. 2/2/2017-ई.II]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत, के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 5 मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा०का०नि० 37, तारीख **22 फरवरी**, 201**6** द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## New Delhi, the 7th September, 2017

- **G.S.R.294.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Private Secretary Recruitment Rules, 2016, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Private Secretary Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Private Secretary Recruitment Rules, 2016,—
  - (A) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—
- "2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.— The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";
  - (B) in the Schedule,-
- (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in Pay Matrix
(4)
Level -7
(Rs. 44900-142400)";

(ii) in column (11),-

- (I) under the heading Promotion:,-
- (a) for the words and figures "Pay Band -2 in the pay scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200", the words, figures and brackets "Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix" shall be substituted;
  - (b) Note 1: shall be omitted;
  - (c) Note 3: shall be omitted.
  - (II) under the heading Deputation:,-
- (a) in item (a), in sub-item (ii), for the words and figures "Pay Band -2, in the pay scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4200", the words, figures and brackets "Level -6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix" shall be substituted;
  - (b) Note 4: shall be omitted.

[F.No. 2/2/2017-E.II]

R.N. DIXIT, Under Secy.

**Footnote.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section3, Sub-section (i) dated  $5^{th}$  March, 2016 vide notification number G.S.R. 37 dated the  $22^{nd}$  February, 2016.

## नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2017

सा.का.िन.295.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना (सिस्टर और नर्स) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना (सिस्टर और नर्स) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना (सिस्टर और नर्स) भर्ती नियम, 2013 में,
  - (1) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
    - "2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं";
  - (I) अनुसूची में,-
    - (क) क्रम संख्या 1 के सामने सिस्टर के पद से संबंधित,-
      - (i) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात –

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
(4)	
स्तर-8	
(47600-151100 रुपए)"	

- (ii) स्तम्भ (11) में,-
  - (क) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन,